तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
18.06.2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुयी। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता उप0। शेष अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। बहस उभय पक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस प्रार्थी का कथन रहा कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है एवं विधिवत रुप से राजस्व कार्मिकों से सीमाज्ञान करवाया है। एवं मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाने के विधिक अधिकार प्राप्त है। बहस का जवाब देते हुये विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 1 का कथन रहा कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी के बहाने अप्रार्थीगण का रास्ता बन्द करना चाहता है व दौराने सीमाज्ञान अप्रार्थीगण को इत्तला नही दी गयी थी। इसलिये प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी खारिज किया जावें। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि राजस्व ग्राम केहरपुरा कलां की भूमि खसरा नं0 81, 82, 107, 109, 516/108 कुल किता 5 कुल रकबा 1.08 हैक्टे0 का सीमाज्ञान तहसीलदार चिड़ावा के आदेश की पालना में राजस्व कार्मिकों ने दिनांक 29.04.2022 को करवाया है। उक्त भूमियों प्रार्थी की एकल खातेदारी भूमियो है। जिसका बाद सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कराने के प्रार्थी को विधिक अधिकार है। परन्तु मौके पर यदि कोई रास्ता प्रचलन में है अथवा राजस्व टीम द्वारा पूर्व में खुलवाया गया है तो पत्थरगढ़ी की आड़ में उसे बन्द करने का कोई अधिकार प्रार्थी को नही है। अतः प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है। **<u>आदेश</u>** उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम केहरपुरा कलां पटवार हल्का केहरपुरा कलां स्थित खसरा नंबर 81 रकबा 0.05 हेक्टेयर, 82 रकबा 0.45 हेक्टे0, 107 रकबा 0.37 हेक्टे0, खसरा नंबर 109 रकबा 0.06 हेक्टे0, खसरा नं 516/108 रकबा 0.15 हैक्टे0 की प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 29.04.2022 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। पत्थरगढ़ी की सीमाओं में यदि यदि कोई रास्ता प्रचलन में है अथवा राजस्व टीम द्वारा पूर्व में खुलवाया गया है तो पत्थरगढ़ी की आड़ में उसे बन्द नही किया जावें। तहसीलदार चिड़ावा को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा उपखण्ड अधिकारी,चिडावा	